संख्या-66/2016/27/22-2-2016-17(4)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2016***

विषय: सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी मो0 तकी पुत्र श्री हजूर आलम निवासी जनपद-मुरादाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-46821/पर-2(एम0 28-10-2015) दिनांक-09-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मो0 तकी पुत्र श्री हजूर आलम, ग्राम-दौलतीपुर, थाना-भगतपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। पूर्व में हुए झगडे को लेकर चल रही मुकदमेबाजी एवं रंजिश के कारण बन्दी ने 13 सहअभियक्तों के साथ मिलकर दिनांक 09-03-1972 को प्रात: लगभग 10:30 बजे बन्दूक, तबल, भाला एवं लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की व 02 अन्य को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/1972 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148,324/149 के अन्तर्गत मा0 प्रथम सिविल एवं सेशन जज, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 28.05-1973 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01.10.2015 तक 19 वर्ष 06 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष 03 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि अभियुक्त का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, भविष्य में पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना है, अपराधियों को पनाह देने, अपराध रोकथाम हेतु जेल में निरूद्ध रखने की आवश्यकता है तथा बन्दी रिहा होने के उपरान्त पुन: अपराध करने व कराने में लिप्त हो जाने आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया है। जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 तकी पुत्र श्री हजूर आलम को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 तकी पुत्र श्री हजूर आलम, निवासी जनपद-मुरादाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-66/2016/27/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, ऊधमसिंह नगर।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।